89

न्यायालय श्रीमान् ''सदस्य महोदय'' राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक- अ-757-II-16 सन्-2016

रामगोपाल चंसोरिया तनय स्व. श्री रामसहाय चंसौरिया,
निवासी-वार्ड नंबर-29, बड़ी कुंजरेहटी, छतरपुर,
तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

1. दीपेन्द्र सिंह गौर तनय स्व. श्री बी.एस. गौर,
निवासी-नर्वदेश्वर मार्ग-छतरपुर,
तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.) .....गैरनिगरानीकर्ता/आवेदक

1. श्रीमती किरन गौर पुत्री स्व. श्री बी.एस. गौर,
पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, निवासी-मकान नंबर-एच.आई.जी-11,
छत्रसाल नगर, छतरपुर, तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.),
2. श्रीमती रेखा गौर पुत्री स्व. श्री बी.एस. गौर,
पत्नी श्री सौरभ सोलंकी, निवासीबंगाली चौराहा के पास, इन्दौर,
तहसील व जिला-इन्दौर (म.प्र.),
3. योगेन्द्र सिंह गौर तनय स्व. श्री बी.एस. गौर,
निवासी-मकान नंबर-3(अ), वार्ड नंबर-25, छतरपुर,
तहसील व जिला-छतरपुर (म.प्र.),
4. श्रीमती चित्रा गौर पुत्री स्व. श्री बी.एस. गौर,
पत्नी श्री योगेश प्रताप सिंह, निवासी-रेवा होटल के पास,
शहडोल, तहसील व जिला-शहडोल (म.प्र.), ...गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

निगरानी-हस्व धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959
निगरानी विरूद्ध अदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर के अभ्यावेदन प्रकराण क्रमांक-01/अपी. अभ्या./ए-6/2015-16, रामगोपाल चंसोरिया बनाम दीपेन्द्र सिंह गौर एवं अन्य, आदेश दिनांक-27.01.2016

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक-01 से 04/गैर निगरानीकर्तागण सगे भाई-बहन हैं तथा एक ही पिता स्व. श्री बी.एस. गौर की संतानें हैं, इनका पैतृक रिहायशी मकान वार्ड नंबर-19, जिसके उत्तर में नर्वदेश्वर मार्ग (पक्की सड़क) स्थित है, जिसमें गैर निगरानीकर्तागण अपने पिता के साथ ही हमेशा से रहते रहे हैं। वर्तमान में केवल गैर निगरानीकर्ता दीपेन्द्र सिंह गौर रह रहा है तथा शेष गैर गिनरानीकर्तागण क्रमांक-01 लगायत-04 उक्त उन्मान में लिखे गये स्थानों में पृथक-पृथक रह रहे हैं।

निरन्तर.....2

राजेन्द्र प्रसाद राय
एडवोकेट
छतरपुर (म० प्र०)

R - 757. II/16 (छतरपुर)

9.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । अपर कलेक्टर के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने आवेदक द्वारा उनके समक्ष राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक एक कंडिका 18 (एक) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं है । उक्त अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः यह निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य
R 2152	